(193)

ग्रा/निग०/सिंगरौली भू रा०/2018/0795

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प– रीवा, (म.प्र.)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 रु. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs.30/-

विन्दा देवी पत्नी श्री विमलचन्द्र निवासी ग्राम गनियारी, थाना बैढन तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली (म0प्र0) ———————— निगरानीकर्तागण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ———————— गैरनिगरानीकर्तागण

अधि०श्री विवेक शर्मा
द्वारा पेश। 01-02-18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 14.12.17 जो राजस्व प्रकरण क्र. 004/अ–12/17–18 को माननीय राजस्व निरीक्षक महोदय तहसील सिंगरौली द्वारा पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.1959

संक्षिप्त विवरण

यहकि निगरानीकर्ता ने ग्राम गनियारी वार्ड नं. 41 इन्दिरा वार्ड तहसील एवं जिला सिंगरौली की आराजी नं. 1104/1ख1 रकवा 0.141 हे. दिनांक 03.11.2008 को तुलसीदास तनय परमेश्वर साहू से क्रय किया था उक्त आराजी क्र. 1104/1 ख कुल रकवा 0.141 हे. के सीमांकन हेतु रा.नि.मं. के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का ने स्थल पंचनामा में निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर करवाते हुए रा.नि.मं. के समक्ष गलत ढंग से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, रा.नि.मंडल ने पटवारी द्वारा प्रस्तुत गलत प्रतिवेदन के आधार पर सीमांकन का आदेश पारित कर दिया गया, जिससे व्यथित हो कर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है जो निम्नलिखित है :–

2

193

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / सिंगरौली / 2018 / 795 / भू–रा0 जिला सिंगरौली

बिन्दा देवी / म0प्र0 शासन

(1)	(2)
19.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री विवेक शर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 004 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 14.012.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य